

वाहन बीमा कंपनियों। बीमा कवरेज के ड्राइवर के इतिहास पर आधारित कीमतें। पहल अधिनियम।

- मौजूदा कानून में परिवर्तन करके बीमा कंपनियों को इस आधार पर कीमतें निर्धारित करने की अनुमति देता है कि क्या ड्राइवर ने पहले किसी बीमा कंपनी के साथ वाहन का बीमा कराया था।
- बीमा कंपनियों को उन ड्राइवरों को आनुपातिक छूट देने की अनुमति देता है जिनका पुराना बीमा कवरेज का कुछ इतिहास है।
- बीमा कंपनियों को उन ड्राइवरों के लिए कीमत बढ़ाने की अनुमति देगा जिन्होंने निरंतर कवरेज को बना कर नहीं रखा है।
- चूक वाले ड्राइवरों को निरंतर कवरेज वाला मानता है यदि चूक सैन्य सेवा या रोजगार के चले जाने के कारण हुई है, या यदि चूक 90 दिनों से कम की है।

राज्य और स्थानीय सरकार पर राजस्व संबंधी शुद्ध प्रभाव के बारे में वैधानिक विश्लेषक के अनुमान का सारांश:

- शायद राज्य बीमा प्रीमियम कर राजस्व पर राजस्व संबंधी कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं।

वैधानिक विश्लेषक द्वारा विश्लेषण

पृष्ठभूमि

वाहन बीमा, कैलिफोर्निया निवासियों द्वारा खरीदे जाने वाले बीमा का एक प्रमुख प्रकार है। 2011 में कैलिफोर्निया बीमा कंपनियों द्वारा एकत्र प्रीमियम में इसका हिस्सा लगभग \$21 बिलियन (40 प्रतिशत) था।

ऑटोमोबाइल बीमा राज्य विनियमन। 1988 में कैलिफोर्निया के मतदाताओं ने प्रस्ताव 103 को पारित किया, जिसमें बीमा आयुक्तों से अपेक्षित है कि दरों में परिवर्तन के प्रभावी होने से पहले वे ऑटोमोबाइल बीमा सहित बीमा के कुछ प्रकारों के लिए दरों में परिवर्तनों की समीक्षा करें और उनको अनुमोदित करें। प्रस्ताव 103 में यह भी अपेक्षित है कि ऑटोमोबाइल बीमा पॉलिसियों के लिए दरें एवं प्रीमियमों को निम्नलिखित रेटिंग कारकों को लागू करके स्थापित किया जाए, महत्व के घटते हुए क्रम में: (1) बीमित के ड्राइविंग सुरक्षा रिकॉर्ड, (2) उनके द्वारा प्रति वर्ष ड्राइव किए गए मील, एवं (3) उनके द्वारा ड्राइव किए गए वर्ष।

बीमा आयुक्त ऑटोमोबाइल दरों और प्रीमियमों का निर्धारण करने के लिए अतिरिक्त रेटिंग कारकों को अपना सकते हैं। वर्तमान में, 16 वैकल्पिक रेटिंग कारकों को इन उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, बीमा कंपनियाँ व्यक्तियों को अपनी कवरेज को बनाए रखने के लिए छूट प्रदान कर सकती हैं। हालाँकि, बीमा कंपनियाँ इस तरह की छूट की पेशकश उन नए ग्राहकों को

करने के लिए निषिद्ध हैं, जो अन्य बीमा कंपनियों से उनकी कंपनी में आ रहे हैं।

बीमा प्रीमियम कर। कैलिफोर्निया में व्यापार करने वाली बीमा कंपनियाँ वर्तमान में राज्य निगम आय कर की बजाय बीमा प्रीमियम कर की भुगतान करती हैं। प्रीमियम कर सकल बीमा प्रीमियम की राशि पर आधारित होता है। राज्य में हर साल ऑटोमोबाइल बीमा के साथ-साथ अन्य प्रकार के बीमा कवरेज के लिए अर्जित किया जाता है। 2011 में, बीमा कंपनियों ने कैलिफोर्निया में ऑटोमोबाइल पॉलिसियों पर प्रीमियम कर राजस्व में लगभग \$500 मिलियन का भुगतान किया। इन राजस्वों को राज्य की सामान्य निधि में जमा किया जाता है।

प्रस्ताव

यह उपाय एक बीमा कंपनी को किसी ऐसे नए ग्राहक को, जो किसी अन्य बीमा कंपनी से अपने कवरेज को स्विच करता है, ऑटोमोबाइल बीमा पॉलिसियों पर “निरंतर कवरेज” छूट की पेशकश करने के लिए अनुमति देता है। इस उपाय के तहत, निरंतर कवरेज का आमतौर पर मतलब होता है किसी भी बीमा कंपनी के साथ निर्बाध ऑटोमोबाइल बीमा कवरेज। कालातीत के साथ ग्राहक कवरेज में अभी भी इस छूट के लिए पात्र होगा, हालाँकि, यदि कालातीत:

- पिछले पाँच वर्षों में किसी भी कारण से 90 दिनों से अधिक नहीं था।
- छंटनी के कारण रोजगार चले जाने या अवकाश के कारण पिछले पाँच वर्षों में 18 महीने से अधिक नहीं था।
- सक्रिय सैन्य सेवा के कारण था।

इसके अलावा, माता-पिता के साथ रहने वाले बच्चे अपने माता-पिता की पात्रता के आधार पर छूट के लिए पात्र हो सकते हैं।

यदि बीमा कंपनी ऐसी किसी छूट को उपलब्ध कराने का चयन करती है, तो इसको एक आनुपातिक आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा। छूट उन तत्काल पिछले पाँच वर्षों में वर्षों की संख्या (एक पूरी संख्या के लिए पूर्णांक) पर आधारित होगी जिनके लिए ग्राहक का बीमा किया गया था। उदाहरण के लिए, यदि कोई ग्राहक यह प्रदर्शित करने में सक्षम था कि उसके पास पिछले पाँच में तीन सालों के लिए कवरेज था तो ग्राहक को कुल निरंतर कवरेज छूट का 60 प्रतिशत प्राप्त होगा।

वित्तीय प्रभाव

इस उपाय के परिणामस्वरूप कैलिफोर्निया में बीमा कंपनियों द्वारा अर्जित ऑटोमोबाइल बीमा प्रीमियम की कुल राशि, और राज्य द्वारा प्राप्त प्रीमियम कर राजस्व की राशि में परिवर्तन हो सकता है। उदाहरण के लिए, निरंतर कवरेज छूट की शुरूआत करने से उनको द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम राशि में कमी हो सकती है जो छूट के लिए पात्र है। हालाँकि, इसकी भरपाई आमतौर पर भुगतान किए गए अतिरिक्त प्रीमियम से होगा उनके द्वारा जो ऐसी छूट के लिए पात्र नहीं हैं। इस उपाय से राज्य प्रीमियम कर राजस्व पर शुद्ध प्रभाव शायद कोई खास नहीं होगा।